

कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(विधि अनुभाग)

लखनऊ // दिनांक // मई, 26 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर
समस्त ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

विषय: पंजीयन प्रमाण पत्रों में संशोधन हेतु लम्बित प्रार्थना पत्रों के समयान्तर्गत निस्तारण के सम्बन्ध में ।

आप अवगत हैं कि पंजीयन प्रमाण पत्रों में संशोधन हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया मुख्यालय के परिपत्र संख्या-विधि-4(1)-ई-पंजीयन-2013-14/1694/वाणिज्य कर दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा निर्धारित की गयी है ।

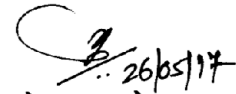
2- मुख्यालय स्तर पर ऑनलाइन पंजीयन संशोधन प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की समीक्षा करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि व्यापारियों द्वारा ऑनलाइन दिये गये संशोधन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण निर्धारित समय में नहीं किया जा रहा है । संशोधन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण न करने के कारण प्रवर्तन कार्यों में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि व्यापारी के ऑनलाइन उपलब्ध विवरण तथा व्यापारी के वास्तविक व्यापारिक स्थिति में भिन्नता आ रही है । जोनवार लम्बित संशोधन प्रार्थना पत्रों की प्रास्थिति निम्न प्रकार है :-

Zone	Pending Amendment Applications
Agra	298
Aligarh	378
Allahabad	175
Bareilly	145
Etawah	108
Faizabad	240
Gautambudha Nagar	317
Ghaziabad I	349
Ghaziabad II	102
Gorakhpur	133
Jhansi	95
Kanpur I	231
Kanpur II	185
Lucknow I	304
Lucknow II	200
Meerut	232
Moradabad	108
Saharanpur	43
Varanasi I	131
Varanasi II	108
Total	3882

3- व्यापारियों के ऑनलाइन उपलब्ध पंजीयन विवरण का विश्लेषण करने पर यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि कतिपय कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा एक ही TIN को कई बार Cancel करके Restore किया जा रहा है, जिससे व्यापारियों को अत्यंत असुविधा हो रही है तथा व्यापारी के ऑनलाइन डाटा का विश्लेषण करने में भी कठिनाई उत्पन्न हो रही है। अतः पंजीयन प्रमाण पत्रों में संशोधन e-amendment के माध्यम से ही किया जाय तथा TIN को बार-बार Restore तथा Cancel करने की कार्यवाही न की जाये।

4- मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य भी आया है कि पंजीयन प्रमाण पत्र में ऑनलाइन संशोधन प्रक्रिया निर्धारित करने के पश्चात् भी कतिपय अधिकारियों द्वारा मैनुअली पंजीयन संशोधन प्रार्थना पत्र प्राप्त कर कार्यवाही की जा रही है, जो उचित नहीं है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पंजीयन संशोधन प्रार्थना पत्र केवल ऑनलाइन प्राप्त किये जायें तथा जितने ऑनलाइन आवेदन पेंडिंग है, उनका निस्तारण प्रत्येक दशा में दिनांक 29.05.2017 तक सुनिश्चित कर लिया जाये। इस सम्बंध में अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित करते हुए उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये।



(मुकेश कुमार मिश्रा)

कमिश्नर, वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।